

ii.

संकल्प, ज्ञापांक-3 / एम0-1-35/2001-2530 दिनांक 29.06.2010 के अनुसार अधिकतम आयु की अर्हता आरक्षण कोटिवार निम्नवत् है :

- (क) अनारक्षित वर्ग (पुरुष) - 37 वर्ष
 (ख) पिछड़ावर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष
 (ग) अनारक्षित वर्ग (महिला) - 40 वर्ष
 (घ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष
 (ङ) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट रहेगी।
 (च) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 5374 दिनांक 02.04.2013 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्षों तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी। बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 (छ) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा / संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट की व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी।

1.3 स्वास्थ्य संबंधी योग्यता :

आवेदक को मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए ताकि सम्बन्धित पद / पदों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन को सक्षमता के साथ वे पूरा कर सकें।

इस ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा और इस परीक्षा के आधार पर पूर्णतः स्वस्थ पाये जाने की स्थिति में ही, उन्हें नियुक्ति के योग्य माना जा सकेगा।

चयनोपरान्त उम्मीदवार को सहायक असैनिक शल्य-चिकित्सक द्वारा निर्गत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट (Medical Fitness Certificate) भी प्रस्तुत करना होगा।

2. ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा :

- (i) यह परीक्षा ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड होगी।
 (ii) ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर एक पाली से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किया जायेगा।
 (iii) ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा में भाषा का माध्यम अंग्रेजी / हिन्दी होगा।
 (iv) परीक्षा में पूछे गये प्रश्न वस्तु-निष्ठ (Objective) होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (One) अंक निर्धारित होगा।
 (v) ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी।
 (vi) ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी।
 (vii)

में एवं पद कोड संख्या-02 को चार खण्डों में पूछा जायेगा। इन प्रश्नों के स्तर, प्रश्न-खण्ड एवं प्रत्येक प्रश्न खण्ड में पूछे गये प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगी :

क्र.	संबन्धित पद का नाम	प्रश्न खंड	प्रश्न-विषय	प्रश्नों की संख्या	प्रश्नों का स्तर	सांकेतिक सिलेबस
1.	सहायक प्रबन्धक (पद कोड-01)	A	General Studies & Mental Ability	30		Annexure-I(A)
		B	Indian Language (Hindi & English) & Management	40		Annexure-I(B)
		C	Indian Economy & Indian Agriculture	30		Annexure-I(C)

2.	(पद कोड-02)	A	General Studies, Mental Ability & Indian Language (Hindi & English)	30	Annexure-II(A)
		B	Accounting & Auditing	30	Annexure-II(B)
		C	Indian Economy & Indian Agriculture	20	Annexure-II(C)
		D	Taxation	20	Annexure-II(D)
3.	लेखापाल	A	General Studies Mental Ability & Indian Language (Hindi & English)	30	Annexure-III(A)
		B	Accounting & Auditing	40	Annexure-III(B)
		C	Indian Economics & Indian Agriculture	30	Annexure-III(C)
	गुणवत्ता नियंत्रक (पद कोड-04)	A	General Studies Mental Ability	50	Annexure-IV(A)
		B	Indian Language (Hindi & English)	20	Annexure-IV(B)
		C	Indian Agriculture	30	Annexure-IV(C)
5.	निम्नवर्गीय लिपिक (पद कोड-05)	A	General Studies Mental Ability	50	Annexure-V(A)
		B	Indian Language (Hindi & English)	20	Annexure-V(B)
		C	Computer Proficiency	30	Annexure-V(C)

1.3 आरक्षण :

रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा अनुमोदित रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को दृष्टि दिव्यांगता / मूक बधिर दिव्यांगता / चलन दिव्यांगता/ मनोविकार दिव्यांगता का रोस्टर के अनुसार श्रेणी आरक्षण देय होगा।

3. आरक्षण / आरक्षण कोटि / आरक्षण नीति :

- (क) (i) नियुक्ति के लिए इस ऑनलाईन कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा हेतु, ऑन-लाईन आवेदन भेजने की आरम्भिक तिथि तक निर्धारित / लागू आरक्षण सम्बन्धी बिहार सरकार के नियमों / नीतियों का पालन किया जायेगा।
- (ii) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी हो और जिन्हें बिहार सरकार के सक्षम पदाधिकारी से आरक्षण के लिए विधिवत् एवं उचित जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त हो, उन्हें ही आरक्षण-लाभ के योग्य माना जायेगा।
- (iii) जो आवेदक बिहार के मूल निवासी नहीं हैं वे वर्णित पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार आरक्षण-लाभ के लिए योग्य नहीं होंगे।

(ख) दिव्यांग कोटा के अन्तर्गत पदों का आरक्षण :- सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 13062

4%